न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-85/2016

1-श्यानादेवी पत्नी रामदेवाराम
2-रूकमादेवी पत्नी प्रभूराम
जाति जाट निवासी बठोठ तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर ।

---अपीलान्टस्---

---बनाम---

1- सोहनी पुत्री लक्ष्मणराम पत्नी राजेन्द्रकुमार जाति जाट निवासी ग्राम कटराथल तहसील व जिला सीकर (राज0)

2- परमेश्वरीदेवी पुत्री लक्ष्मणाराम पत्नी सुरेन्द्र जाति जाट निवासी ग्राम बठोठ तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर हाल निवासी वार्ड नं0-4। आनन्द नगर सीकर (राज0)

3-हीरादेवी पत्नी
4-रामदेवाराम पुत्र
5-प्रभुराम पुत्र
6-सावरमल पुत्र
7-सतवीर पुत्र
8-श्रवण पुत्र
लक्ष्मणाराम जाति जाट निवासी ग्राम बठोठ तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर

9- पतासी देवी पुत्री लक्ष्मणराम पत्नी बीरबलराम निवासी हाल आंतरोली तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर (राज0)

10-उप पंजीयक लक्ष्मणगढ जिला सीकर ।

11-तहसीलदार लक्ष्मणगढ बहैसियत भूमिधारक ।

12-राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा बठोठ जरिये प्रबन्धक

13- पटवारी हल्का बठोठ तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर (राज0)

---रेस्पोडेन्टस्--

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 3-5-2016 द्वारा उप खण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ ।

--0--

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

उपस्थिति-

1-श्री राजेश माथुर एडवोकेट- अपीलान्ट

2-श्री बनवारीलाल शर्मा एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 5.2.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट सं0-1 व 2 ने अदालत मातहत में दावा बाबत उद्घोषणा, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 668 रकबा 0.04 हैक0 ख0नं0 636 रकबा 9.48 हैक्टर कुल किता-2 रकबा 9.52 हैक्टर पटवार हल्का बठोठ पैत्रिक आराजी है । आराजी ख0नं0 666 रकबा 0.04 हैक्टर, ख0नं0 536 रकबा 9.48 हैक्टर ग्राम बठोठ पैत्रिक आराजी है। जो वादिया व प्रतिवादी सं0 1 से 8 के पिता को विरासत के आधार पर प्राप्त हुई है । वादीया का पिता दिमागी हालत से कमजोर था जिसकी दीमागी हालता का फायदा उठाकर उसके पुत्र रामदेवाराम ने अपनी पत्नी श्यानादेवी, तथा प्रभूदयाल ने अपनी पत्नी रूकमा देवी तथा अपने भाई सांवरमल के नाम से एक नुमायशी दान पत्र तहरीर एवं तकमील करवाकर वादीया हक अधिकारों पर बेअसर है । इसी प्रकार सांवरमल ने भी अपने पिता को धोखे में रखकर इसी दिनांक 3-8-2010 को फर्जी दान पत्र करवा लिया तथा इसी दिन प्रतिवादी संख्या-4 ने भी प्रतिवादी संख्या-1 को धोक में रखकर एक नुमायशी दान पत्र अपनी पत्नी के नाम करवा लिया जो वादीगण के हक अधिकारो पर बेअसर है ।जबकि विवादित आराजी पैत्रिक है प्रतिवादी संख्या-1, 3, 4, 5, 9 व 10 आपस में मिले हुये हैं जो साजशी दान पत्रों के आधार पर उक्त आराजी से वादीगण को बेदखल कर आराजी को बैचान करने पर आमादा है। यदि प्रतिवादी अपने इस कुदेश्य में सफल हो जाते हैं तो वादी का वाद पेश करने का उदेश्य ही समाप्त हो जायेगा ।वादीगण का उक्त आराजी 1/9, 1/9 हिस्सा है। अतः वादीगण का दावा स्वीकार कर डिक्री किया जाकर वादीगण को उक्त आराजी में 1/9, 1/9 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाते । तथा आराजी का बंटवारा किया जाते।

प्रबन्ध अधिकारी

अदालत मातहत ने विवादित आराजी को पैत्रिक मानते हुये वादीगण का दावा स्वीकार कर लिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या-1 द्वारा साझेदारी रूप से दावा पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या-1 ने साझेदारी इकबालिया जबाब दावा पेश कर दावा डिक्री करवा लिया । अदालत मातहत ने विवादित आराजी को पैत्रिक मानकर उक्त आराजी में वादीगण को 1/9, 1/9 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करने में अदालत मातहत ने दावे में सारगर्भित बिन्दू का अध्ययन ने कर अपना निर्णय पारित किया है ।विवादित आराजी का खातेदार लक्ष्मणाराम था जो परिवार का मुखिया था और अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 9 संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य थे। लक्ष्मणाराम परिवार का मुखिया होने के कारण संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अपनी अचल सम्पत्ति को दान पत्र के जरिये स्थानान्तरित करने का अधिकार था । पारिवारिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुये अपीलान्ट जो लक्ष्मणाराम की पुत्र वधु है को एक पंजीकृत दान पत्र के जरिये सम्पदा सुपुर्द किया जाना किसी भी रूप में विधि विरूद्ध नहीं है । लक्ष्मणाराम द्वारा 3 अलग अलग दान पत्रो के जरिये सम्पदा उपहार गृहिता को सुपुर्द किये जाने के बाद नामा0 सं0-1544 दिनांक 27-12-2010 अपीलान्ट प्रत्येक के हिस्से में 1.5866 हैक्टर भूमि की खातेदारी दर्ज की गई । उक्त दान पत्रों को अदालत मातहत को अवैध व शून्य घोषित करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था । उक्त तीनो ही दान पत्र दिनांक 3-8-2010 को विधिवत रूप से पंजीकृत करवाये गये है जो लक्ष्मणाराम स्वयं द्वारा उप पंजीयक कार्यालय के समक्ष उपस्थित होकर रजिस्टर्ड करवाये हैं । जिससे इन दान पत्रों को कपट पूर्वक एवं जाजिश पूर्वक तस्दीक करवाया हुआ करार नहीं किया जा सकता । अदालत मातहत में अपीलान्ट को जबाब दावा पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया ।लक्ष्मणाराम द्वारा साझेदारी इकबालिया

जबाब दावा पेश किया है। अदालत मातहत में पत्रावली दिनांक 28-3-2016 को साक्ष्य वादिया नियत की गई । तथा इसी दिनांक को वादिया की ओर से शपथ पेश किये गये जिसकी अपीलान्ट को कोई नकल नहीं दी गई, न ही किसी प्रकार की जिरह का अवसर दिया है । तथा प्रतिवादीगण के वकील की अनुपस्थिति में एकतरफा कार्यवाही जारी रख एकतरफा आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमों में दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी का खातेदार अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं0-1 से 9 का पूर्वज लक्ष्मणाराम खातेदार काश्तकार था। जिसने एक संयुक्त हिन्दू परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उक्त आराजी में से आराजी अपीलान्ट के पक्ष में 3-8-2010 को दान पत्र किया जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या-1544 तस्दीक किया जाकर खातेदारी अपीलान्टस् के नाम दर्ज की गई । दान पत्र रजिस्टर्ड है जिनको शून्य एवं अवैध करार दिये जाने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है । अदालत मातहत ने इस बिन्दू पर कोई गौर न कर अपना निर्णय क्षेत्राधिकार से बाहर दिया है ।अदालत मातहत में वादीगण ने उक्त आराजी में 1/9 हिस्से की खातेदारी की घोषणा चाही है जबकि वैसे भी माना जावे तो इनका 1/10 हिस्सा ही होता है ।इस बिन्दू पर भी कोई गौर न अदालत मातहत ने रेस्पोडेन्ट संख्या-1 व 2 के दावे के सारगर्भित तथ्यों पर कोई गौर न कर वादीगण के कथनों के अनुसार दावा डिक्री करने में कानूनी भूल की है ।अदालत मातहत ने अपीलान्ट को पारिवारिक समझोते के अन्धेरे में रखकर जबाब दावा से वंचित रखा एवं वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या-1 ने आपस में साज कर यह दावा पेश कर प्रतिवादी संख्या-1 से

पारित किया है । जबकि दावा दिनांक 28-3-2016 को वादीगण की साक्ष्य में ही विचाराधीन था किन्तु अदालत मातहत ने इसी दिनांक को वादीगण के शपथ पत्र लेकर बिना अपीलान्ट को उनकी नकल दिये बिना प्रतिवादीगण के वकील की अनुपस्थिति में बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही अपना आदेश पारित कर दिया जो विधि के विपरित है ।अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावें ।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि अदालत मातहत का निर्णय उचित एवं विधिक है । बहस में विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि विवादित आराजी पैत्रिक है जो हमारे पिता लक्ष्मणराम की भूमियां है जो लक्ष्मणराम को विरासत में प्राप्त हुई है ।पैत्रिक आराजी में सहदायिक सदस्य का जन्म के साथ ही उसका हिस्सा निश्चित हो जाता है । उक्त आराजी में हमारा 1/9, 1/9 दर्ज है जिसमें अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या-3 से 9 का भी समान रूप से 1/9 हिस्सा है ।अपीलान्ट ने हमारे पिता की भोले पन की आदत का नाजायज फायदा उठाकर विधि के विपरित दान पत्र अपने नाम करवा लिया जो विधि के विपरित होने से अदालत मातहत ने शून्य घोषित कर दावे मे हमें 1/9, 1/9 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है ।उक्त दावे में अपीलान्ट को तामिल करवाई गई अपीलान्ट बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे हैं जानबूझकर जबाब दावा पेश नहीं किया ।इन्होने जबाब दावा पेश नहीं किया तब इनकी जबाबदेही बन्द की गई थी । प्रतिवादी संख्या-नेजरिये वकील इकबालिया जबाब दावा पेश कर दावा डिक्री किये जाने में कोई ऐतराज नहीं किया । अदालत मातहत ने तमाम रेकार्ड का अवलोकन करने के बाद उक्त आराजी पैत्रिक होने पर दान पत्रों को शून्य घोषित किया है। इस प्रकार के दान पत्रों को घोषित शून्य घोषित करने का राजस्व न्यायालयों को भी क्षेत्रा-धिकार है ।अदालत मातहत ने अपना निर्णय विवादित आराजी को पैत्रिक मानकर पारित किया है जो विधि संगत है । पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

प्रस्तुत करने का अवसर देकर आदेश पारित किया है जो उचित एवं विधिक है । अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई ।पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रदर्श-1 ब जमाबन्दी सं0-2060 से 2063 में आराजी ख0नं0-668, 536 कुल किता-2 रकबा 9.52 हैक्टर की खातेदारी लिक्ष्मणराम पुत्र परसाराम के नाम दर्ज है । जिस पर नामा-सं0-1544 के द्वारा उपहार से सांवरमल पुत्र लिक्ष्मणराम रकबा 1.5866 हैक्टर, श्यानादेवी पत्नी रामदेवाराम व रूकमादेवी पत्नी प्रभू दयाल के नाम 1.5866, 1.5866 हैक्टर का दर्ज किया है । प्रदर्श-2 जमाबन्दी सं0-2023 से 2026 में ख0नं0 536, 668 कुल किता-2 रकबा 37 बीघा 13 बिस्वा की खातेदारी परसा पुत्र रामु के नाम दर्ज है ।जिस पर नोट दर्ज है परसाराम के फौत होने पर खाता परसा के बजाय लक्ष्मण पुत्र परसा के नाम दर्ज किया गया है । उपहार पत्र दिनांक 3-8-2010 श्यानादेवी पत्नी रामदेवाराम, रूकमादेवी पत्नी प्रभूदयाल एवं सांवरमल पुत्र लक्ष्मणराम के नाम से लक्ष्मणराम पुत्र परसाराम ने तस्दीक करवाया है । अपीलान्ट अदालत मातहत में जरिये वकील हाजिर है। प्रतिवादी संख्या-1 ने जरिये वकील अपना इकबालिया जबाब दावा पेश कर वादीगण का दावा डिक्री किये जाने में कोई ऐतराज नहीं किया ।दिनाक 26-3-2015 को प्रतिवादी सं0-4 से 10 की जबाब देही बन्द की गई है । पत्रावली का अवलोकन करने पर यह राजस्व रेकार्ड से साबित है कि विवादित आराजी अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं0-1 से 9 की पैत्रिक भूमि है जो प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड से साबित है।अपीलान्ट ने यह स्पष्ट नहीं किया कि विवादित आराजी पैत्रिक नहीं है और जब पैत्रिक भूमि साबित है तो कर्त्ता खानदान अथवा परिवार का मुखिया अपने ही परिवार के किसी भी सदस्य को आराजी का उपहार नहीं कर सकता यह कानून की बबब नजरों में अवैधानिक है जिसे अदालत मातहत ने शून्य करार दिया है जो उचित एवं विधिक है। अपीलान्ट का यह कहना भी गलत है कि उन्हे सुनवाई जबाब देही का अवसर नहीं दिया। अपीलान्ट को जबाब देही का अवसर दिये है किन्तु जबाब नहीं देने पर इनका [illegible]

निर्णय दिया है । जिसमें ००० विवादित आराजी में रेस्पोंडेन्ट संख्या-1 व 2 व को 1/9, 1/9 हिस्से का खातेदार घोषित करते हुये ०००० दान पत्र विवादित आराजी पैत्रिक होने से नल एण्ड वोईड एवं शून्य घोषित किया है । अदालत मातहत का निर्णय राजस्व रेकार्ड के अनुसार उचित एवं विधिक है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं मानते हैं ।

अतः अपील अपीलान्ट साबित नहीं होने से अपील खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 3-5-2016 को यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 5.2.2018 को सुनाया गया ।

5/2/18

[illegible]
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर